

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल०-15/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक :

डॉ० स्नेहा भूषण, चिकित्सा पदाधिकारी, एस० एन० सी० यू०, सदर अस्पताल, भागलपुर द्वारा दिनांक-01.10.2020 से 31.03.2021 तक कुल-182 (एक सौ ब्यासी) दिन द्वितीय संतान के प्रसव हेतु उपभोगित मातृत्व अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01 12 2015 के आलोक में निम्नरूपेण स्वीकृत किया जाता है:-

(i)	दिनांक-01 10.2020 से 29.03 2021 तक	-	कुल-180(एक सौ अस्सी) दिन मातृत्व अवकाश अवधि के रूप में।
(ii)	दिनांक-30 03 2021 से 31.03.2021 तक	-	कुल-2(दो) दिन देय अवकाश के रूप में।

2. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-


(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल०-15/2026- 709(2) पटना, दिनांक 8/4/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/
प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर/अधीक्षक, सदर अस्पताल, भागलपुर /जिला कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/
डॉ० स्नेहा भूषण, चिकित्सा पदाधिकारी, एस० एन० सी० यू०, सदर अस्पताल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।
2